

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(357)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2015/

दिनांक: 30 मार्च, 2017

कोषाधिकारी,
जयपुर शहर, जोधपुर शहर,
अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर।

1008
(स्वीकृति संख्या: /2016-17)

विषय : वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत आवंटन राशि नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(329)लेखा/DLB/MJSA/2016/21397-447 दिनांक 28.03.17 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार संबंधित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 130.88 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ तीस लाख अठायसी हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावें :-

विकलेय मद

- 2217 - शहरी विकास
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
(40) - जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय
[01] - स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से
12 - सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन (आयोजना भिन्न)

राशि रुपये 130.88 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय
W. S. S. S.
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
06. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

W. S. S. S.
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(329)लेखा/DLB/ MJSA/2016/ 21397

दिनांक : 28.03.2017

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत आवंटन ।

राज्य के निम्न नगर निगमों को वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 130.88 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ तीस लाख अठायसी हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	RE वर्ष 2016-17	इस स्वीकृति पर व्यय की राशि
2217 - शहरी विकास		
80 - सामान्य		
191 - नगर निगमों को सहायता		
(40) - जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय		
[01] - स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से- प्रतिभूत		
12 - सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन (आयोजना भिन्न)	397.46	130.88

Sr.No.	Name of Nagar Nigam	Amount in lac
	Treasury Office Jaipur City (1108)	
1	Jaipur Nigam	23.59
	Treasury Office Jodhpur City (1117)	
2	Jodhpur Nigam	6.38
	Treasury Office Kota (1118)	
3	Kota Nigam	33.61
	Treasury Office Ajmer (1091)	
4	Ajmer Nigam	9.42
	Treasury Office Bikaner (1099)	
5	Bikaner Nigam	8.80
	Treasury Office Udaipur (1128)	
6	Udaipur Nigam	48.65
	Treasury Office Bharatpur (1097)	
7	Bharatpur Nigam	0.43
	Total	130.88

उक्त राशि का उपयोग में RTPP Act 2012/ Rules 2013 तत्संबंधी नियमो/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें एवं राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करें, जिस हेतु राशि स्वीकृति हुई है ।

राशि निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जावेगी । इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171700335 दिनांक 27.03.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है ।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(329)लेखा/DLB/ MJSA/2016/ 21398-447

दिनांक : 28.03.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।

02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, (आयोजना) राज0 जयपुर।
04. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर निगमों को स्वीकृत अनुदान। राशि उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।
05. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
07. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3)/(आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
08. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
11. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/जोधपुर शहर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित निकायों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें तथा निर्धारित फार्म में लेखे महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवम् हक) के डी0 डी0 प्रथम अनुभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावे।
15. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का निकाय के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
17. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी (आयोजना/आयोजना भिन्न)/उप निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय।
18. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
19. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(हिलीस राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी